भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

राज्‍य सभा

**आतारांकित प्रश्‍न सं.2777**

(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)

**माल और सेवा कर का अकुशल कार्यान्वयन**

**2777. श्री वायालार रविः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि माल और सेवा कर योजना का कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन करने में सरकार की विफलता से व्यापारियों में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई है और आम आदमी गुस्से में है कि कर का पूरा बोझ उन पर पड़ा है जिससे कीमत में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विनिर्माण क्षेत्र प्राप्त कर लाभों को अपने उत्पादों की कीमत को कम करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आम उपभोक्ता पर अत्यधिक बोझ पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

(क) : जी, नहीं। जीएसटी अपने देश की अप्रत्यक्ष कर संरचना में होने वाला एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार है और इससे करों की बहुलता में कमी आई है जिसके कारण आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को न्याय संगत बनाया गया है। व्यापार जगत में यदि कोई भ्रम था भी तो उसे देश भर में व्यापक जागरूकता अभियान चला कर दूर कर दिया गया है।

(ख) तथा (ग) : केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मुनाफाखोरी किए जाने के बारे में आई शिकायतों की जांच-पड़ताल करने हेतु मुनाफाखोरी-रोधी स्थायी समिति और चयन समितियों के साथ-साथ एक नेशनल एंटी प्राफिटियरिंग अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। इस स्थायी समिति को 13.08.2018 तक मुनाफाखोरी के विरोध में 428 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि कर की दरों में हुई कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उसी अनुपात में कीमतों में कमी करके उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया गया है। उक्त 428 आवेदनों में से स्थायी समिति ने 68 आवेदनों को रक्षोपाय महानिदेशालय के पास अग्रसारित कर दिया है। इस महानिदेशालय ने 10 मामलों में जांच शुरू करने के लिए नोटिस दिए हैं जिनमें 54 आवेदन शामिल हैं। 77 आवेदन अपूर्ण पाये गए; 200 आवेदन मुनाफाखोरी से संबंधित नहीं थे और 66 आवेदनों को संबंधित राज्यस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है।

\*\*\*\*\*